सिद्धार्थ विश्वविद्यालय
कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर
पिनः—272202

SIDDHARTH UNIVERSITY
Kapilvastu, Siddharth Nagar
Pin-272202

पत्रांकः 370 / सा0प्र0 / सि0वि0वि0 / 2020 दिनांक 08 / 11 / 2020

सेवा में,

प्राचार्य / प्राचार्या
समस्त सम्बद्ध राजकीय / अनुदानित / स्ववित्तपोषित महाविद्यालय, जनपद सिद्धार्थनगर।
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।

विषय— विधान सभा निर्वाचक नामवलियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण के कार्यक्रम एवं वोटर रजिस्ट्रेशन कक्ष स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला निर्वाचन अधिकारी, सिद्धार्थनगर के पत्र संख्या—262 / वि0 संक्षि0पुन0—21 / सि0नगर दिनांक 05.11.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अर्हता तिथि 01.01.2021 के आधार पर हो रहे विधान सभा निर्वाचक नामवलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम आयोग के निर्देशानुसार चलाया जा रहा है, जिसमें विशेष अभियान तिथि दिनांक 22.11.2020, 28.11.2020, 05.12.2020 तथा दिनांक 13.12.2020 को आयोजित किया जा रहा है, साथ ही महाविद्यालयों में वोटर रजिस्ट्रेशन कक्ष स्थापित किये जाने एवं मतदाता जागरुकता अभियान संचालित करने की अपेक्षा की गयी है।

मा0 कुलपति जी के आदेशानुसार समस्त प्राचार्य / प्राचार्या सम्बद्ध महाविद्यालय जनपद सिद्धार्थनगर को निर्देशित किया जाता है कि अपने महाविद्यालय में एक कक्ष **वोटर रजिस्ट्रेशन कक्ष** के रुप में स्थापित करा दें तथा एक कोआर्डिनेटर नामित करने का कष्ट करें, साथ ही सम्बन्धित का नाम एवं टेलीफोन नम्बर आदि की सूचना सम्बन्धित तहसील एवं जिला निर्वाचन कार्यालय को प्राप्त कराये। साथ ही समस्त छात्र—छात्राओं को निर्धारित तिथियों में अपना एवं अपने परिवारजनों का पंजीकरण मतदाता सूची में किये जाने हेतु प्रेरित किया जाय।

संलग्नक— जिला निर्वाचन अधिकारी, सिद्धार्थनगर का पत्र।

भवदीय

कुलसचिव
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

पत्रांकः 370 / सा0प्र0 / सि0वि0वि0 / 2020 दिनांक 08 / 11 / 2020

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 जिला निर्वाचन अधिकारी, सिद्धार्थनगर को सूचनार्थ।
2—क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी गोरखपुर को इस आशय से प्रेषित कि जनपद सिद्धार्थनगर के राजकीय महाविद्यालयों में उक्त हेतु कोआर्डिनेटर नामित करने का कष्ट करें।
3—प्रभारी राष्ट्रीय सेवा योजना, सि0वि0कपिलवस्तु को इस आशय से कि जनपद सिद्धार्थ नगर की एन.एस0एस0 इकाईयों के माध्यम से मतदाता जागरुकता अभियान का आयोजन उक्त तिथिओं में करें।
4—निजी सचिव, कुलपति, मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
5—कोडिंग प्रभारीको इस आशय से कि उपरोक्त सूचना को विश्वविद्यालय के वेबसाइट तथा जनपद सिद्धार्थनगर के कालेज लॉगिन पर अपलोड कराना सुनिश्चित कराये।

<u>कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, सिद्धार्थनगर।</u>

संख्या– 262 /वि0सं0नि0पुन0–21/सि0नगर/ दिनांक 05 नवम्बर,2020

रजिस्ट्रार,
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय,
जनपद–सिद्धार्थनगर

1–समस्त उप जिलाधिकारी/तहसीलदार,
(नि0र0अधि0/स0नि0र0अधि0)

2–जिला विद्यालय निरीक्षक,
जनपद–सिद्धार्थनगर।

अर्हता तिथि 01.01.2021 के आधार पर हो रहे विधान सभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम आयोग के निर्देशानुसार चलाया जा रहा है, जिसमें विशेष अभियान तिथि दिनांक–22–11–2020(रविवार), 28–11–2020, (शनिवार) व दिनांक 05–12–2020(शनिवार), तथा दिनांक 13–12–2020(रविवार), को आयोजित किया गया है। उल्लेखनीय है कि आप के द्वारा आयोग के निर्देशों का शतप्रतिशत अनुपालन किया जा रहा है।

आयोग के विभिन्न पत्रों के द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि कुल सचिव एवं जिला विद्यालय निरीक्षक जनपद के समस्त राजकीय /सहायतप्राप्त/निजी स्नातक एवं परास्नातक शिक्षण संस्थानों में मतदाता रजिस्ट्रेशन हेतु एक–एक कोआर्डिनेटर एवं हेल्प डेस्क की स्थापना करायी जाय तथा प्रत्येक कक्षा में इसकी घोषणा कर दी जाय। प्रत्येक कक्षा के लिए फार्म भरने हेतु एक तिथि व समय निर्धारित कराते हुए उसकी सूचना सम्बन्धित तहसील के उप जिलाधिकारी को प्राप्त करा दें। यदि फार्म की अतिरिक्त आवश्यकता हो तो इस कार्यालय से प्राप्त कर वितरण कराने का कष्ट करें।

उक्त के अतिरिक्त स्नातक/परास्नातक शिक्षण संस्थानों के द्वारा नामित किये गये कोआर्डिनेटर के नाम एवं टेलीफोन नम्बर आदि की सूचना सम्बन्धित तहसील एवं जिला निर्वाचन कार्यालय को भी प्राप्त कराते हुए जनपद के प्रत्येक कालेजों के एक कक्ष को **वोटर रजिस्ट्रेशन कक्ष** के रूप में स्थापित करा दें। जिला विद्यालय उक्त कार्य के अतिरिक्त इण्टर कालेजों में कक्षा–9 से कक्षा–12 के छात्र छात्राओं में मतदाता जागरूकता अभियान चला कर उनको भी जागरूक किया जाय, साथ ही साथ जनपद के प्रत्येक इण्टर कालेजों में हेल्पडेस्क व वोटर रजिस्ट्रेशन कक्ष स्थापित कराकर उनको मतदाता पंजीकरण हेतु जागरूक किया जाय साथ ही साथ उनके द्वारा अपने अभिभावकों का नाम मतदाता सूची में अंकित कराये जाने हेतु प्रेरित किया जाय, जिससे मतदाता जागरूकता कार्यक्रम शतप्रतिशत सफल बनाया जा सके।

विधान सभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण को व्यापक प्रचार–प्रसार कराने एवं आयोग के निर्देश के अनुरूप शतप्रतिशत सफल बनाने हेतु समस्त उप जिलाधिकारी/तहसीलदार अपने–अपने क्षेत्र में पड़ने वाले औद्योगिक एवं व्यवसायिक संस्थानों में उनके प्रतिनिधियों/एसोसियेसन तथा व्यापार मण्डल, उद्योग संगठनों, सिविल सोसाइटी तथा गैर सरकारी संगठनों का सहयोग प्राप्त किया जाय एवं उनके माध्यम से भी इसका प्रचार प्रसार कराया जाय, साथ ही साथ अपने–अपने क्षेत्र के समस्त प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रतिनिधियों की प्रेस ब्रीफिंग कर उन्हें उपरोक्त व्यवस्था के सम्बन्ध में अवगत कराया जाय एवं नियमित अंतराल में प्रेस विज्ञप्तियां जारी कर वृहद प्रचार प्रसार कराया जाय। उक्त के अतिरिक्त समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/ सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण <u>अधिकारी/खण्ड</u> विकास अधिकारी/नायब तहसीलदार/कानूनगो/सुपरवाईजर अपने–अपने क्षेत्र में पड़ने वाले मतदेय स्थलों पर आने वाली विशेष अभियान तिथियों को व्यापक भ्रमण कर आयोग के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक पोलिंग सेन्टरों पर पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध रहकर कार्य को सुगमता पूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चत करें।

(दीपक मीणा)
जिला निर्वाचन अधिकारी,
सिद्धार्थनगर।

संख्या– /तद्दिनांक
प्रतिलिपि–आयुक्त बस्ती मण्डल बस्ती/रोलआब्जरवर महोदय को अवलोकनार्थ प्रेषित।

जिला निर्वाचन अधिकारी,
सिद्धार्थनगर।

Scanned with CamScanner